

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

--: आदेश :-

क्रमांक-366/दो-11-1/2000

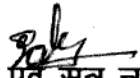
दमोह, दिनांक 03 सितम्बर, 2025

प्रशासकीय अत्यावश्यकता (administrative exigencies) को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थापना पर पदस्थ निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर नवीन पदस्थापना, तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	नाम कर्मचारी एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज खरारे, सहायक ग्रेड-तीन दमोह	आसंजित लिपिक, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अ0नि0) दमोह	सहायक प्रतिलिपिकार, प्रतिलिपि अनुभाग दमोह	श्री रतनलाल विश्वकर्मा, सहायक ग्रेड-तीन दमोह की दिनांक 31.08.2025 को सेवानिवृत्ति होने के कारण रिक्त पद पर
2	श्रीमती प्रियंका उपाध्याय, सहायक ग्रेड-तीन दमोह	आसंजित लिपिक, अभिलेखागार दमोह	सहायक प्रतिलिपिकार, प्रतिलिपि अनुभाग दमोह	श्रीमती सोनम उइके, की मातृत्व अवकाश अवधि दि. 08.09.25 से 06.03.2026 तक अस्थायी रूप से ड्यूटी लगाई जाती है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कर्मचारीगण तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण कर संबंधित पीठासीन/प्रभारी अधिकारी के माध्यम से चार्ज रिपोर्ट प्रस्तुत करें।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक-3123/दो-11-1/2000

दमोह, दिनांक 03 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित न्यायालय/अनुभाग दमोह
- 2- संबंधित तृतीय श्रेणी कर्मचारी दमोह
- 3- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/लेखापाल/ऑफिस मुहरर/ऑफिस टाईपिस्ट/वेतन लिपिक/एच.आर.एम.एस.लिपिक कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)